उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

समाहरणालय, सहरसा

सत्यमेव जयते

बिक्री–अधिसूचना

(वित्तीय वर्ष–2015-16)

बन्दोवस्ती की तिथि– 12 मार्च 2015

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि– 07 मार्च 2015

फारम– 127

" कृपया देखे पाराग्राफ – 88"

बिक्री अधिसूचना

वित्तीय वर्ष 2015-2016 (1ली अप्रील 2015 से 31 मार्च 2016 तक) (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बन्दोवस्ती दिनांक **12.03.15** को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10:00 बजे दिन से (स्थान) **समाहरणालय सभाकक्ष सहरसा** में लॉटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बंदोवस्त की जायेगी।

2. लॉटरी द्वारा दुकानों की बंदोवस्ती निम्नांकित शर्त्तों के अधीन होगी और इन सभी शर्त्तों से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बंदोवस्ती मे भाग ले सकता है।

3. लॉटरी द्वारा बंदोवस्त होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिाति के मामले मे दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बंदोवस्ती की जाएगी।

4. (क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लॉटरी प्रणाली द्वारा मूल रूप से दुकानवार बंदोवस्त किया जाएगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बंदोवस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर वर्त्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लॉटरी द्वारा बंदोवस्त किया जाएगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जाएगा जिसमें, लाभकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकनें भी रहेंगी।

दुकानों के प्रत्येक समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के लिए तीन व्यक्तियों का नाम लॉटरी द्वारा निकाला जाएगा। लॉटरी द्वारा निकाले गए प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बंदोवस्ती की जाएगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बंदोवस्त नहीं हो सके या बंदोवस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञप्ति विखंडित हो जाती हैं तो उक्त समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के दुकान के लिए चयनित दूसरे लॉटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरांत तीसरे लॉटरी विजेता के साथ बंदोवस्ती की जाएगी।

यदि लॉटरी विजेता दुकान/दुकानों के समूह की बंदोवस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बंदोवस्ती लेने से निरर्हित हो जाएगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अभ्यर्थियों के बीच ही लॉटरी द्वारा बंदोवस्ती की कारवाई की जायेगी।

5. इस बिक्री अधिसूचना में वर्णित शर्तें अनुज्ञप्ति की भी शर्तें मानी जायेगी। बिक्री अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि समाहर्त्ता के कार्यालय/विभाग के वेबसाईट www.excise-bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

6.(क) लॉटरी द्वारा बंदोवस्त खुदरा दुकानों की अनुज्ञप्ति 1ली अप्रील, 2015 से प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2016 तक के लिए प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञप्ति की बंदोवस्ती अगर वर्ष 2015–16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से की जाती है तब भी बंदोवस्ती की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक के लिए ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्ती वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बधेज एवं शर्तों पर की जा सकती है, परन्तु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

7 (क) लॉटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदक) को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान–प्रमाण (आइडेंटिटी प्रुफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिए फोटो युक्त पहचान–पत्र जैसे मतदाता परिचय–पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या, एवं ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटो युक्त पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र, जल/टेलीफोन/बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लॉटरी प्रणाली द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें, भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें तथा कपोजिट शराब की दुकानों की बंदोवस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकता है, बशर्ते सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों जिसके लिए आवेदन देगा उसपर विभाग द्वारा निर्धारित अलग–अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटाई नहीं जाएगी। परन्तु, अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ख). लॉटरी द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोटेंसियल जोन एवं लो पोटेंसियल जोन के आधार पर समर्पित की जानेवाली आवेदन के साथ दुकानवार निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर "हाई पोटेंसियल जोन" के लिए निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिए निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क की राशि ही निम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।

क्षेत्र का नाम	हाई पोटेंशियल तथा लो पोटेंशियल जोन के लिए
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रू0 7000.00 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए	रू0 5000.00 (पाँच हजार)
नगर परिषद् के लिए	रू0 4000.00 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए	रू0 3000.00 (तीन हजार)
प्रखंड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रू0 3000.00 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रू0 2000.00 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती लेनेवाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निर्धारित दर पर ही जमा कराई जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उक्त समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहे तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतेय होगा जिस जिला की दुकान के लिए वह आवेदन देगा।

8. बंदोबस्ती में किसी भी आवेदक के विरूद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा –

(क). अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो,

(ख). वह सरकारी बकायेदार हो।

(ग). आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची मे हो।

(घ) अगर वह दिवालिया (इनसोलवेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(i) उसपर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है ;

(ii) उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है,

(iii) उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है ;

(iv) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसके बिहार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक की कारावास–अवधि का राजायफ्ता नहीं है , और

(v) यह अन्डरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में, राज्य के जिन–जिन जिलों में पूर्व में वह लाइसेन्सी रहा है, उन जिलों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण–पत्र लाइसेन्स जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि उसके द्वारा लाइसेंसिंग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसिंग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।

9. बंदोबस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सभी परिपूर्ण अभिलेख बंदोबस्ती के दिन को छोड़कर पाँच दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा। आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी :

(क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिए वे आवेदन देना चाहते है, उसके लिए अलग–अलग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा;

(ख) शपथ पत्र (बिक्री अधिसूचना के प्रावधानानुसार);

(ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आइडेंटिटी प्रूफ) से संबंधित वांछित कागजात।

10. कर्त्तव्यस्थ पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बंदोबस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक आवेदक या उसकी अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक निःशुल्क हॉल टिकट निर्गत करेंगे।

11. दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।

12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के संबंध में दूसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती/लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ–पत्र के संबंध में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13 (क) यदि कोई दुकान/दुकानों के समूह किसी कारण से बंदोवस्त नहीं हो सके, तो समाहर्त्ता पुनः बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। परंतु इसके लिए पन्द्रह दिन पूर्व बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(ख) बंदोबस्ती सर्वप्रथम वैसी दुकान/दुकानों के समूहों से प्रारंभ की जायेगी जिसका न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम होगी।

14 (क) बंदोवस्ती के तुरंत बाद बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का बारहवां भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करना होगा।

बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञप्तिफीस के बारहवें भाग के बराबर प्रतिभूति राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या जिले के समाहर्त्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पदनाम से बंधीकृत फिक्सड डिपोजिट (Scheduled Nationalised Bank का) या थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के रूप में बदोवस्ती के तुरत बाद जमा करना होगा। बैंक गारंटी की मान्यता अवधि जून, 2016 रहेगी।

(ख) बंदोवस्तदार/अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक माह की 1ली तारीख को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 12वां भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञप्तिफीस जमा नहीं कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से कारण सहित समय के लिए अनुरोध कर सकता है परन्तु हर हाल में माह की 20वीं तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस अवश्य जमा कर देगा। यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा, अन्यथा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी तथा जमा सपूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समूह लॉटरी के कम संख्या दो के अभ्यर्थी के साथ अथवा अभ्यर्थी संख्या–2 को दुकान लेने से इंकार करने पर अभ्यर्थी संख्या तीन के साथ बंदोवस्त कर दी जायेगी।

(ग). खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बंदोवस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की, समूह के किसी दुकान की अनुज्ञप्ति की शर्त्तों के उल्लघन के लिए उस दुकान की अनुज्ञप्ति के साथ–साथ समूह के अन्य दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए विखंडित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जब्त कर ली जा सकेगी।

15 (क) जहां बंदोबस्ती पूरे वर्ष के लिए होगी वहां अनुज्ञप्ति फीस कुल वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का बारहवॉं भाग उपर्युक्त कंडिका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परन्तु जहा बंदोवस्ती साल के बीच में होगी वहा समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकानें सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष के लिए बंदोवस्त की जायेगी। अगर बंदोबस्ती साल के बीच में होगी तो वैसी स्थिति में यह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति फीस के साथ–साथ जिस माह से अनुज्ञप्ति दी गयी है, उस माह की अनुज्ञप्ति फीस भी जमा करने के बाद बंदोबस्तदार के पक्ष में अनुज्ञप्ति तुरत निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क, वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी, इसके लिए अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा परन्तु प्रतिभूति राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो, की कटौती कर वापस की जायेगी।

(घ.) स्थल का अनुमोदन होते ही स्थल का ब्योरा अनुज्ञप्ति में अंकित कर दिया जायेगा।

(ग) "ऑन" बिकी के लिए उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा / जगह जो "ऑफ" काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्शा का ब्लू प्रिंट तीन प्रतियों में समाहर्त्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा, जो समाहर्त्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा।

(घ) समानुपातिक मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।

(ङ) प्रत्येक प्रकार की मदिरा के बोतल / सैसे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।

20. अनुज्ञाधारी उठायी गयी सम्पूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बेचना सुनिश्चित करेगा।

21. मदिरा की अनापूर्ति की दशा, दुकान खुलने में विलम्ब, चुनाव के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और नहीं अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

22(क) अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञप्ति परिसर के बाहर मुख्य दरवाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनाए स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा –

(i). दुकान का नाम एवं अनुज्ञप्ति अवधि,
(ii). अनुज्ञाधारी का नाम
(iii). दुकान के अधिकृत बिक्रेता का नाम
(iv). सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य

(ख). बंदोवस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्रांक 4085 दिनांक 31.12.10 में निर्धारित मानक के अनुसार 3'x2.5" साईज का साईन बोर्ड लगायेंगे तथा उस पर निर्धारित भाषा एवं रंग में ही आवश्यक सूचना लिखवायेंगे।

(ग). बंदोवस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर अथवा उसके आस–पास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पेंटिग्स / बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेंगे और नहीं किसी अन्य को इसकी अनुमति देंगे।

(घ). बंदोवस्तधारी, निगम के डीपो से पासबुक में प्रविष्टि कराकर ही मदिरा का निर्गमण लेंगे।

23.(क) बंदोबस्तदार बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार / राजस्व पर्षद द्वारा बनाये गये हैं, या समय–समय पर बनाये जायेंगे। साथ ही, अनुज्ञप्तिधारी सक्षम पदाधिकारी से समय–समय पर जारी किये गये या किये जाने वाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशो एवं अनुदेशो का अनुपालन करेगा।

(ख) अनुज्ञप्ति परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति परिसर में अनुज्ञप्ति भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।

24. राज्य सरकार अपनी बंदोबस्ती नीति से किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

25. इस बिक्री अधिसूचना की शर्त्त अनुज्ञप्ति की शर्त्त भी मानी जायेगी तथा इसके उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम की धारा 42 एवं अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कारवाई की जायेगी ।

Rajesh 20/02/15
अधीक्षक उत्पाद
सहरसा

20.2.15
समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहरणालय : सहरसा
दिनांक :- 20-02-15

ज्ञापांक 89 /उत्पाद, दिनांक :- 20-02-15

प्रतिलिपि:- आयुक्त उत्पाद,बिहार पटना / संयुक्त आयुक्त उत्पाद,बिहार पटना/ आयुक्त उत्पाद के सचिव, बिहार पटना/आयुक्त के सचिव कोशी प्रमंडल, सहरसा/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद/प्रभारी पदाधिकारी समाहर्त्ता के गोपनीय शाखा, सहरसा/ पुलिस अधीक्षक,सहरसा/ उप विकास आयुक्त, सहरसा/ अपर समाहर्त्ता, सहरसा/ अनुमंडल पदाधिकारी,सहरसा/ सिमरीबख्तियारपुर/ जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी,सहरसा/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,सहरसा/सभी अंचल पदाधिकारी,सहरसा/ कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, सहरसा/ निरीक्षक उत्पाद/सभी उत्पाद अवर निरीक्षक/ डिपो प्रबंधक, बी० एस० बी० सी० एल० सहरसा को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचारार्थ प्रेषित। बंदोवस्ती में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति 3:00 रू० कोर्ट फी स्टॉम्प पर आवेदन विहित प्रपत्र में, निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि एवं अन्य आवश्यक कागजात दिनांक- **07.03.2015** को **5:00** बजे अप० तक अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, सहरसा में जमा कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी अधीक्षक उत्पाद, सहरसा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती हैं ।

20.2.15
समाहर्त्ता
सहरसा।

Rajesh 20/02/15
अधीक्षक उत्पाद
सहरसा

जिला सहरसा

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बन्दोबस्त होने वाले दुकानो की समूहवार सूची

समूह सं0	दुकान का प्रकार	दुकान का नाम	दुकान की अवस्थिति क्षेत्र	मासिक न्यून्तम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क रू0 में	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क रू0 में	आवेदन शुल्क रू0 में
				देशी /म0दे0 शराब (LPL)	विदेशी शराब (LPL)	बीयर (BL)			
1	विदेशी 01	सहरसा न0प0वि0श0दु0 नं0 1	न0प0 वार्ड सं0 1 से 40 तक		2550	3650	419000.00	734000.00	8000.00
	देशी 01	सहरसा न0प0दे0श0दु0 नं0 1	तदैव	3500			315000.00		
2	विदेशी 02	सहरसा न0प0वि0श0दु0 नं0 2	न0प0 वार्ड सं0 1 से 40 तक		2550	3650	419000.00	734000.00	8000.00
	देशी 02	सहरसा न0प0दे0श0दु0 नं0 2	तदैव	3500			315000.00		
3	विदेशी 03	सहरसा न0प0वि0श0दु0 नं0 3	न0प0 वार्ड सं0 1 से 40 तक		2550	3650	419000.00	734000.00	8000.00
	देशी 03	सहरसा न0प0दे0श0दु0 नं0 3	तदैव	3500			315000.00		
4	विदेशी 04	सहरसा न0प0वि0श0दु0 नं0 4	न0प0 वार्ड सं0 1 से 40 तक		2550	3650	419000.00	734000.00	8000.00
	देशी 04	सहरसा न0प0दे0श0दु0 नं0 4	तदैव	3500			315000.00		
5	विदेशी 05	सहरसा न0प0वि0श0दु0 नं0 5	न0प0 वार्ड सं0 1 से 40 तक		2550	3650	419000.00	734000.00	8000.00
	देशी 05	सहरसा न0प0दे0श0दु0 नं0 5	तदैव	3500			315000.00		
6	विदेशी 06	सहरसा न0प0वि0श0दु0 नं0 6	न0प0 वार्ड सं0 1 से 40 तक		2550	3650	419000.00	734000.00	8000.00
	देशी 06	सहरसा न0प0दे0श0दु0 नं0 6	तदैव	3500			315000.00		
7	विदेशी 07	सहरसा न0प0वि0श0दु0 नं0 7	न0प0 वार्ड सं0 1 से 40 तक		2550	3650	419000.00	734000.00	8000.00
	देशी 07	सहरसा न0प0दे0श0दु0 नं0 7	तदैव	3500			315000.00		
8	विदेशी 08	सहरसा न0प0वि0श0दु0 नं0 8	न0प0 वार्ड सं0 1 से 40 तक		2550	3650	419000.00	734000.00	8000.00
	देशी 08	सहरसा न0प0दे0श0दु0 नं0 8	तदैव	3500			315000.00		
9	विदेशी 09	सहरसा न0प0वि0श0दु0 नं0 9	न0प0 वार्ड सं0 1 से 40 तक		2550	3650	419000.00	734000.00	8000.00
	देशी 09	सहरसा न0प0दे0श0दु0 नं0 9	तदैव	3500			315000.00		

समूह सं0	दुकान का प्रकार	दुकान का नाम	दुकान की अवस्थिति क्षेत्र	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क रू0 में	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क रू0 में	आवेदन शुल्क रू0 में
				देशी /म0दे0 शराब (LPL)	विदेशी शराब (LPL)	बीयर (BL)			
10	विदेशी 10	सहरसा न0प0वि0श0दु0 नं0 10	न0प0 वार्ड सं0 1 से 40 तक		2550	3650	419000.00	734000.00	8000.00
	देशी 10	सहरसा न0प0दे0श0दु0 नं010	तदैव	3500			315000.00		
11	विदेशी 11	सहरसा न0प0वि0श0दु0 नं0 11	न0प0 वार्ड सं0 1 से 40 तक		2550	3650	419000.00	734000.00	8000.00
	देशी 11	सहरसा न0प0दे0श0दु0 नं0 11	तदैव	3500			315000.00		
12	विदेशी 12	सहरसा न0प0वि0श0दु0 नं0 12	न0प0 वार्ड सं0 1 से 40 तक		2550	3650	419000.00	734000.00	8000.00
	देशी 12	सहरसा न0प0दे0श0दु0 नं0 12	तदैव	3500			315000.00		
13	विदेशी 13	बैजनाथपुर विदेशी	बैजनाथपुर		2000	1750	317500.00	861000.00	8000.00
	देशी 13	बैजनाथपुर देशी	बैजनाथपुर	3450			310500.00		
	कम्पोजिट 07	कम्पोजिट सवैला	सवैला	1350	700	650	233000.00		
14	विदेशी 14	बरियाही विदेशी	बरियाही		2000	1750	317500.00	861000.00	8000.00
	देशी 14	बरियाही देशी	बरियाही	3450			310500.00		
	कम्पोजिट 10	कम्पोजिट बलही बरसम	बलही बरसम	1350	700	650	233000.00		
15	विदेशी 18	सोनवर्षा कचहरी विदेशी	सोनवर्षा कचहरी		1200	1200	192000.00	482000.00	8000.00
	देशी 18	सोनवर्षा कचहरी देशी	सोनवर्षा कचहरी	1900			171000.00		
	कम्पोजिट 12	कम्पोजिट कुमेदान टोला	कुमेदान टोला	600	400	500	119000.00		
16	विदेशी 15	बलवाहाट विदेशी	बलवाहाट		2000	1750	317500.00	861000.00	8000.00
	देशी 15	बलवाहाट देशी	बलवाहाट	3450			310500.00		
	कम्पोजिट 13	कम्पोजिट सरौजा	सरौजा	1350	700	650	233000.00		
17	विदेशी 16	बिहरा विदेशी	बिहरा		1500	1550	240500.00	694000.00	8000.00
	देशी 16	बिहरा देशी	बिहरा	2550			229500.00		
	कम्पोजिट 03	कम्पोजिट सिहौल	सिहौल	1250	700	650	224000.00		

समूह सं०	दुकान का प्रकार	दुकान का नाम	दुकान की अवस्थिति क्षेत्र	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क रू0 में	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क रू0 में	आवेदन शुल्क रू0 में
				देशी /म0दे0 शराब (LPL)	विदेशी शराब (LPL)	बीयर (BL)			
18	विदेशी 24	सलखुआ विदेशी	सलखुआ		1000	1100	161000.00	677000.00	8000.00
	देशी 24	सलखुआ देशी	सलखुआ	3500			315000.00		
	कम्पोजिट 33	कम्पोजिट वहोरवा (सितुआहा)	वहोरवा (सितुआहा)	1350	500	450	201000.00		
19	देशी 23	सौरबाजार देशी	सौरबाजार	3300			297000.00	530000.00	5000.00
	कम्पोजिट 05	कम्पोजिट समदा चौक	समदा चौक	1350	700	650	233000.00		
20	विदेशी 23	सौरबाजार विदेशी	सौरबाजार		2000	1600	316000.00	638000.00	7000.00
	कम्पोजिट 08	कम्पोजिट कचरा	कचरा	900	500	500	161000.00		
	कम्पोजिट 06	कम्पोजिट भपटिया चौक	भपटिया चौक	900	500	500	161000.00		
21	विदेशी 25	पतरघट विदेशी	पतरघट		1200	1150	191500.00	452000.00	8000.00
	देशी 25	पतरघट देशी	पतरघट	1750			157500.00		
	कम्पोजिट 31	कम्पोजिट गोलमा चौक	गोलमा चौक	600	300	400	103000.00		
22	देशी 21	सोनवर्षा राज देशी नं० 1	सोनवर्षा राज	3100			279000.00	748000.00	8000.00
	देशी 22	सोनवर्षा राज देशी नं० 2	सोनवर्षा राज	3100			279000.00		
	कम्पोजिट 18	कम्पोजिट सोहा	सोहा	1300	450	550	190000.00		
23	विदेशी 21	सोनवर्षा राज विदेशी नं० 1	सोनवर्षा राज		1550	1500	247500.00	670000.00	8000.00
	विदेशी 22	सोनवर्षा राज विदेशी नं० 2	सोनवर्षा राज		1550	1500	247500.00		
	कम्पोजिट 36	कम्पोजिट रसलपुर	रसलपुर	700	700	700	175000.00		
24	विदेशी 19	सिमरी बख्तियापुर विदेशी नं० 1	सिमरी बख्तियारपुर		2350	1700	369500.00	857000.00	8000.00
	विदेशी 20	सिमरी बख्तियापुर विदेशी नं० 2	सिमरी बख्तियारपुर		2350	1700	369500.00		
	कम्पोजिट 37	कम्पोजिट पहलाम चौक (भगवानपुर)	पहलाम चौक(भगवानपुर)	628	386	358	118000.00		

समूह सं0	दुकान का प्रकार	दुकान का नाम	दुकान की अवस्थिति क्षेत्र	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क रू0 में	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क रू0 में	आवेदन शुल्क रू0 में
				देशी /म0दे0 शराब (LPL)	विदेशी शराब (LPL)	बीयर (BL)			
25	देशी 19	सिमरी बख्तियारपुर देशी नं० 1	सिमरी बख्तियारपुर	3500			315000.00	863000.00	8000.00
	देशी 20	सिमरी बख्तियारपुर देशी नं० 2	सिमरी बख्तियारपुर	3500			315000.00		
	कम्पोजिट 14	कम्पोजिट सिमरी	सिमरी	1350	700	650	233000.00		
26	देशी 27	बनमा ईटहरी देशी (तेलियाहाट)	बनमा ईटहरी (तेलियाहाट)	1900			171000.00	569000.00	8000.00
	विदेशी 27	बनमा ईटहरी विदेशी (तेलियाहाट)	बनमा ईटहरी (तेलियाहाट)		1100	1200	177000.00		
	कम्पोजिट 11	कंपोजिट पहाड़पुर	पहाड़पुर	1300	650	650	221000.00		
27	देशी 26	नवहट्टा देशी	नवहट्टा	2400			216000.00	599000.00	8000.00
	विदेशी 26	नवहट्टा विदेशी	नवहट्टा		1100	1400	179000.00		
	कम्पोजिट 22	कम्पोजिट डुमरा	डुमरा	1200	600	600	204000.00		
28	विदेशी 17	बलुआहा विदेशी	बलुआहा		1400	1500	225000.00	684000.00	8000.00
	देशी 17	बलुआहा देशी	बलुआहा	2500			225000.00		
	कम्पोजिट 26	कम्पोजिट तरही (गंडोल)	तरही (गंडोल)	1350	700	750	234000.00		
29	देशी 28	सत्तरकटैया देशी	सत्तरकटैया	2000			180000.00	472000.00	8000.00
	विदेशी 28	सत्तरकटैया विदेशी	सत्तरकटैया		1000	1500	165000.00		
	कम्पोजिट 04	कम्पोजिट पुरीख (तुनियाही)	पुरीख (तुनियाही)	700	400	400	127000.00		
30	कम्पोजिट 27	कम्पोजिट राजनपुर	राजनपुर	1400	550	600	214500.00	540000.00	6000.00
	कम्पोजिट 35	कम्पोजिट अलानी	अलानी	700	300	300	111000.00		
	कम्पोजिट 34	कम्पोजिट कबिराधाप	कबिराधाप	1400	550	600	214500.00		
31	कम्पोजिट 30	कम्पोजिट पस्तपार	पस्तपार	1400	700	700	238000.00	390000.00	4000.00
	कम्पोजिट 32	कम्पोजिट धबौली	धबौली	900	450	350	152000.00		

समूह सं0	दुकान का प्रकार	दुकान का नाम	दुकान की अवस्थिति क्षेत्र	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञाशुल्क रू0 में	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क रू0 में	आवेदन शुल्क रू0 में
				देशी / म0दे0 शराब (LPL)	विदेशी शराब (LPL)	बीयर (BL)			
32	कम्पोजिट 09	कम्पोजिट कॉप	कॉप	1200	550	500	195500.00	382000.00	4000.00
	कम्पोजिट 17	कम्पोजिट अतलखा (मंगुआर)	अतलखा (मंगुआर)	1100	550	500	186500.00		
33	कम्पोजिट 01	कम्पोजिट तुलसियाही	तुलसियाही	1200	550	600	196500.00	376000.00	4000.00
	कम्पोजिट 02	कम्पोजिट अगवानपुर (सिसई)	अगवानपुर (सिसई)	1100	500	550	179500.00		
34	कम्पोजिट 23	कम्पोजिट धरहरा चन्द्रायण	धरहरा चन्द्रायण	1200	600	700	205000.00	445000.00	6000.00
	कम्पोजिट 25	कम्पोजिट डरहार	डरहार	400	200	300	69000.00		
	कम्पोजिट 24	कम्पोजिट शाहपुर (नौहट्टा)	शाहपुर (नौहट्टा)	1000	500	600	171000.00		
35	कम्पोजिट 28	कम्पोजिट झारा (महपुरा)	झारा (महपुरा)	1300	650	600	220500.00	441000.00	4000.00
	कम्पोजिट 29	कम्पोजिट मैना (बरैटा)	मैना (बरैटा)	1300	650	600	220500.00		
36	कम्पोजिट 20	कम्पोजिट काशनगर	काशनगर	1000	600	600	186000.00	465000.00	6000.00
	कम्पोजिट 19	कम्पोजिट रटसौल	रटसौल	500	300	300	93000.00		
	कम्पोजिट 21	कम्पोजिट महुआ बाजार	महुआ बाजार	1000	600	600	186000.00		
37	कम्पोजिट 16	कम्पोजिट शाहपुर(सोनवर्षा)	शाहपुर (सोनवर्षा)	1000	400	500	155000.00	155000.00	2000.00
38	कम्पोजिट 15	कम्पोजिट विराटपुर	विराटपुर	1000	400	500	155000.00	155000.00	2000.00
कुल योग				126978	75786	87908	23675000.00	23675000.00	266000.00

Rajnesh 20/02/15
अधीक्षक उत्पाद
सहरसा

समाहर्त्ता
सहरसा।